इंटेलैक्चुअल प्रॉपर्टी तो असली संपदा है इसका पेटेंट जरूर लेना चाहिए

आईआईटी इंदौर में पेटेंट विषय पर हुआ एक्सपर्ट टॉक

सिटी रिपोर्टर | इंदोर

रिसर्च के क्षेत्र में बीते कुछ समय से देश में बहुत काम हो रहा है। वीएलएसआई सोसायटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर में तो दुनिया के कई देशों के साथ सिस्टम सोसायटी द्वारा आयोजित मिलकर बडी रिसर्च को अंजाम दिया जा रहा है। साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, फैकल्टीज या स्टडेंटस जो भी रिसर्च वर्क करते है उनमें से उल्लेखनीय रिसर्च का

पेटेंट जरूर कराएं। ध्यान रहे कि बासमती चावल के पेटेंट को लेकर जब इतना बवाल हो सकता है

तो इंटेलैक्वुअल प्रॉपर्टी तो असली संपदा है। यह जानकारी पेटेंट स्पेशलिस्ट अधिषेक पालीवाल ने दी।

मंगलवार को वे आईआईटी इंदौर में इंटेलैक्चुअल प्रॉपर्टी

राइट्स इन इलेक्टॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर विषय पर एक्सपर्ट टॉक में संबोधित कर रहे थे। इंडिया व आईईईई सर्किट एंड इस टॉक में उन्होंने पेटेंट की जरूरत और इसकी प्रक्रिया विस्तार से बताई।

सहमति के बगैर नहीं कर सकते इस्तेमाल

> पालीवाल ने बताया, प्रोडक्ट की तरह किसी भी मौलिक तकनीक का पेटेंट कराया जा सकता है। इसके बाद आपकी अनुमति के बगैर कोई व्यक्ति.

> > संस्था या देश उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। पेटेंट आवेदन करने की तारीख से लेकर 20 साल तक की अवधि के लिए लिया जा सकता है।